राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

प्रकरण संख्याः— 22/दावा/2021 दायरा दिनांक :— 19.03.2021

GCMS ID—2021/216

बउनवान

1. सुवालाल आ0 बडदिया उर्फ बिरधीलाल जाति रेगर निवासी विजयगढ हाल नियुक्त पोस्ट मेन मुख्य डाक—घर बून्दी तहसील व जिला बून्दी।
2. रमेश आ0 स्व0 छीतरलाल जाति रेगर निवासी विजयगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
3. बाबूलाल आ0 स्व0 छीतरलाल जाति रेगर निवासी विजयगढ तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
4. बंशीलाल आ0 स्व0 छीतरलाल जाति रेगर निवासी विजयगढ तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
5. धर्मराज आ0 स्व0 छीतरलाल जाति रेगर निवासी विजयगढ तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
6. ब्रह्मानन्द आ0 स्व0 छीतरलाल जाति रेगर निवासी विजयगढ तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
7. सुशीला पुत्री स्व0 छीतरलाल जाति रेगर निवासी विजयगढ तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
8. मांगीबाई पत्नी स्व0 छीतरलाल जाति रेगर निवासी विजयगढ तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
9. भंवरलाल माता रामकंवरी पुत्री कजोड जाति रेगर निवासी विजयगढ हाल निवासी सिंघाडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
10. शंकरीबाई पत्नी सुवालाल वर्ष जाति रेगर निवासी विजयगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

वादीगण

बनाम

1. किशना आ0 लक्ष्मण जाति रेगर निवासी विजयगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. नन्दा आ0 किशना जाति रेगर निवासी विजयगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
3. मुकेश आ0 किशना जाति रेगर निवासी विजयगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
4. बबंलू आ0 किशना जाति रेगर निवासी विजयगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
5. फोरक्या उर्फ लाकेश आ0 किशना जाति रेगर निवासी विजयगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र :— धारा 188 आर0टी0 एक्ट स्थाई निषेधाज्ञा की घोषणा बाबत।

वकील वादी :— श्री शम्भूदयाल शर्मा
वकील प्रतिवादी :— एक पक्षीय कार्यवाही

दिनांक :— 18/08/2025

निर्णय

दावा पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि खसरा सख्या 840 रकबा 0.5504 है0, खसरा संख्या 813 रकबा 0.1538 हैक्टेयर वाके ग्राम विजयगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है भूमि की जमाबंदी संलग्न वादपत्र है। खसरा संख्या 837 रकबा 0.3237 हैक्टेयर वाके ग्राम विजयगढ तहसील हिण्डोली

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

जिला बून्दी में स्थित है। भूमि की जमाबंदी संलग्न वादपत्र है। वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि के सहखातेदार छीतर आ0 बडदया का देहांत हो गया है वादी संख्या 2 लगायत 8 छीतर के वारिसान है लेकिन अभी विरासत का नामान्तकरण दर्ज नहीं हुआ है इसी प्रकार उक्त भूमि की सहखातेदार रामकंवरी का भी देहांत हो गया है वादी भंवरलाल, रामकंवरी का वारिस है जमाबंदी में अभी नामान्तकरण दर्ज नहीं हुआ है। वादपत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित भूमि की खातेदार धापू पुत्री कजोड द्वारा भूमि खसरा संख्या 840, 813 में निहित उसके हिस्से की संपूर्ण भूमि को तथा खसरा संख्या 837 की उसके खाते की संपूर्ण भूमि को वादी शंकरी बाई पत्नी सुवालाल व मांगीबाई पत्नी छीतरलाल को रजि0 बख्शीश नामा से दिनांक 22.02.2021 को बख्शीश कर दिया है इस प्रकार सहखातेदार धापूबाई के हिस्से व खाते की भूमि की स्वामी खातेदार शंकरी व मांगीलाल बन चुकी है। वादीगण की भूमि खसरा संख्या 813, 837 रिकॉडेड रास्ता खसरा संख्या 814 के सहारे स्थित है तथा खसरा संख्या 813 व 840 की सीमा पर वादीगण ने पूर्वजों के समय से चाह खुदवा रखा है। जिसकों राजस्व नक्शे में गोले के रूप में दर्शा रखा है उक्त चाह से वादीगण अपनी भूमि खसरा संख्या 837, 813 व 840 को सिंचित करते है वादीगण ने वादग्रस्त भूमि पर गेहूं व जानवरों का चारा सटेला बो रखा है। इस प्रकार वादीगण अपनी वाद ग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है। भूमि खसरा संख्या 837 व 840 के सहारे खसरा संख्या 838 प्रतिवादीगण की भूमि स्थित है प्रतिवादीगण अपनी उक्त भूमि की आड में वादीगण की भूमि खसरा संख्या 837 व 813 पर अनाधिकृत रूप से पीलर गाढ कर तार पेंसिंग करने तथा खसरा संख्या 837 में खसरा संख्या 813 के सहारे अवैध रूप से रास्ता बनाने पर आमादा है, साथ ही खसरा संख्या 814 से खसरा संख्या 838 के सहारे बने हुए चाह पर आने जाने में व्यवधान पैदा करते है तथा वादीगण के चाह पर जाने के रास्ते पर खसरा संख्या 838 की आड में कांटे डालकर वादीगण के उपयोग में बाधा उत्पन्न करते है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण ने दिनांक 15.11.2020 को वादीगण के चाह के उपयोग में बाधा उत्पन्न के उद्धेश्य से वादीगण का इंजन बंद कर दिया और वादी सुवालाल ने प्रतिवादीगण को ओलमा दिया तो प्रतिवादीगण ने एकराय होकर वादी सुवालाल व छीतर के लडकों के साथ मारपीट की जिसकी एफ0आई0आर0 संख्या 461/20 थाना हिण्डोली में दर्ज करवाई गई है लेकिन प्रतिवादीगण प्रतिवादीगण ने वादीगण को धमकी दी कि हम तुम्हारे खाते की भूमि खसरा संख्या 837 पर खसरा संख्या 838 में जाने के लिए रास्ता बनाएगें व तुम्हारी भूमि का कृषि स्वरूप नष्ट करेंगे तथा खसरा संख्या 813 की भूमि पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

जबरन कब्जा करेंगे तथा खसरा संख्या 837 में चाह खसरा संख्या 840 पर जाने के लिए रास्ते को बंद करेंगे और आडे फिरोगे तो जान से मारेंगे। यही वाद उत्पत्ति का कारण है निरंतर जारी है। वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वादीगण की भूमि खसरा संख्या 813 व 837 तथा चाह की भूमि पर जबरन कब्जा नहीं करने, खसरा संख्या 837 व 813 के बीच की सीमा पर पीलर गाढ कर तारपेंसिंग नहीं करने, चाह के रास्ते को अवरूद्ध नहीं करने तथा खसरा संख्या 837 में जबरन नया रास्ता नहीं बनाने व भूमि खसरा संख्या 837 का कृषि स्वरूप नष्ट नहीं करने व भूमि खसरा संख्या 837, 840, 813 पर काश्त करने में बाधा उत्पन्न नहीं करने, भूमि व चाह पर आने जाने में दखलदांजी नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवावे। साथ ही यदि दौराने वाद खसरा संख्या 813, 837 पर तथा चाह की सीमा में जबरन तारपेसिंग कर दे तो इसी वाद में प्रतिवादीगण के खर्चे पर प्रतिवादीगण को हटाया जावे। वादग्रस्त भूमि ग्राम विजयगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित होने से श्रीमान को उक्त वाद का श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री प्रदान की जावे। भूमि खसरा संख्या 813 व 837 व 840 के उपयोग व उपभोग व उक्त भूमि में काश्त करने में दखलंदाजी नहीं करने, चाह से सिंचाई करने में अवरोध नही करने तथा खसरा संख्या 814 से खसरा संख्या 837 व 813 के बीच में होकर चाह व भूमि खसरा संख्या 840 पर जाने के रास्ते में अवरोध नहीं करने, रास्ते पर पीलर गाढ कर, तारपेसिंग नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। खसरा संख्या 838 व 842 पर आन जाने हेतु वादीगण की भूमि में सक्षम न्यायालय से रास्ते की घोषणा कराये बिना जबरन रास्ता नहीं बनाने भूमि का स्वरूप नष्ट नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। यदि दौराने वाद प्रतिवादीगण चाह की सीमा में व खसरा संख्या 837 व 813 की सीमा जबरन तारपेंसिंग/तारबाडा कर दे व खसरा संख्या 813 पर जबरन कब्जा करले तो इसी वाद में प्रतिवादीगण के खर्चे पर किया गया अतिक्रमण हटवाया जावे। अन्य न्यायोचित सहायता जो वादी को उपलब्ध हो प्रदान की जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना/तामिल के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध दिनांक :–08.01.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने से तनकीयात कायम नहीं की

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email: sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

जाकर पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र व बाबूलाल रेगर, रणजीत रेगर, लक्ष्मण रेगर वादी के शपथ पत्र पेश किये जो शामिल मिसल है।

हमने प्रकरण पर वकील वादीगण की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों कों दोहराते हुये कथन किया कि भूमि खसरा संख्या 837 व 840 के सहारे प्रतिवादीगण की भूमि खसरा संख्या 838 है प्रतिवादीगण उक्त भूमि की आड में वादीगण की भूमि खसरा संख्या 837 में खसरा संख्या 813 के सहारे अवैध रूप से रास्ता बनाना चाहते है व खसरा संख्या 814 व 837 के सहारे बने हुए वादीगण के चाह पर जाने हेतु बने रास्ते में अवरोध उत्पन्न करते है। अतः प्रतिवादीगण को उक्त कृत्य नहीं करने हेतु पाबंद किया जावे। वादीगण की खातेदारी भूमि पर रास्ता निकालने का प्रतिवादीगण को कोई हक व अधिकार नही है। वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को उक्त कृत्य नहीं करने से पाबंद किया जावे।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो व साक्ष्यों एवं विद्वान अधिवक्ता वादीगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में विवादित भूमि खाता संख्या 190 धापू पुत्री कजोड के नाम दर्ज है, जिसको प्रतिवादी संख्या 8 व 10 के नाम दिनांक 22.02.2021 को बख्शीश होना अंकित किया है व खाता संख्या 191 वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 8 के पिता के नाम दर्ज है। सहखातेदार रामकंवरी का निधन हो गया, जिसका वारिसा वादी संख्या 1 होना अंकित किया गया है। विवादित भूमियॉ वादीगण की खातेदारी भूमि है जिस पर जबरदस्ती रास्ता निकालने का प्रतिवादीगण को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/साक्ष्य अखडिंत है जिनके खंडन बाबत प्रतिवादीगण द्वारा कोई चाराजोही न्यायालय में नहीं की गई है। भूमियां वादीगण के खातेदारी में निहित होने से उन पर जबरदस्ती रास्ता बनाने का कोई अधिकार प्रतिवादीगण को प्राप्त नही है। उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्यों से वादीगण, प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः वाद वादीगण स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 190 के खसरा संख्या 837 रकबा 0.3237 हैक्टेयर व खाता संख्या 191 के खसरा संख्या 813, 840 कुल किता 2 कुल रकबा 0.7042 हैक्टेयर वाके ग्राम विजयगढ पटवार मण्डल विजयगढ में वादीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी नहीं करने, चाह से सिंचाई से अवरोध नहीं करने भूमि खसरा संख्या 814 से 837 व 813 के बीच में होकर चाह व भूमि खसरा संख्या 840 तक जाने के रास्ते में अवरोध नहीं करने, तार-पेसिंग नहीं करने व

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

खसरा संख्या 838 व 842 पर आने जाने हेतु वादीगण की भूमियों पर जबरदस्ती रास्ता नहीं निकालने हेतु प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखित दफतर हो।

निर्णय आज दिनांकः—18.08.2025 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

18/08/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446